0/0 15

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees Provident Fund Organisation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)
मुख्य कार्यालय/Head Office
प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023
Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सत्यमेव जयते

क्रमांक: ए-45013/7/2022-एग्जाम/13 **दिनांक:** 20/04/2026

सेवा में,

सभी अ.कें.भ.नि.(मुख्या.)(आंचलिक कार्यालय)
निदेशक,पीडीनास
सभी अ.कें.भ.नि.(आंचलिक कार्यालय)/ अ.कें.भ.नि.(आ.प्र.सं.)/ अ.कें.भ.नि.(प्र.से.प्र.), मुख्यालय

विषय: अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के संबंध में सूचना।

महोदय/महोदया,

इस कार्यालय के पत्र संख्या A-45013/7/2022-EXAM/910 दिनांक 18.03.2026 का सादर संदर्भ दिया जाता है, जिसके द्वारा अनुभाग अधिकारी के पद के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने हेतु अधिसूचना जारी की गई थी।

2. उक्त अधिसूचना के अनुसार, अनुभाग अधिकारी के पद के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने हेतु निम्नलिखित पात्रता का उल्लेख किया गया था (अनुभाग अधिकारी के पद के लिए मौजूदा भर्ती नियम के अनुसार)।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सहायक, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स [रु..44900 - 142400] के लेवल-7 में, इस ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो।

3. तथापि, कुछ ऐसे उम्मीदवार, जो मौजूदा भर्ती नियम के अनुसार पात्र नहीं थे, उन्होंने माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली पीठ के समक्ष ओए संख्या 1346/2026 दायर की, जिसमें यह अनुरोध किया गया कि आवेदकों को अनु. अधि सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2026 में शामिल होने की अनुमति दी जाए और 'अनुभाग अधिकारी' के पद पर पदोन्नति के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाए।

4. माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने दिनांक 13.04.2026 के अंतरिम आदेश के माध्यम से निम्नलिखित निदेश दिए हैं:

> प्रतिवादियों को निदेश दिया जाता है कि वे आवेदकों को सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2026 परीक्षा में भाग लेने की अनुमति अस्थायी रूप से प्रदान करें, जो ओए के परिणाम के अधीन होगी; तथापि, आवेदकों के परिणाम को एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा और इस अधिकरण की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा।

5. तदनुसार, यह मामला सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसने आवेदकों को वर्तमान ओए के परिणाम के अधीन, उक्त परीक्षा में बैठने की अनंतिम अनुमति प्रदान की है।

6. यह निर्णय लिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आईबीपीएस का पोर्टल दिनांक 21.04.2026 से 22.04.2026 तक दो दिनों के लिए पुनः खोला जाएगा। वे सभी आवेदक, जिन्होंने माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक

अधिकरण प्रधान पीठ, दिल्ली के समक्ष ओए संख्या 1346/2026 दायर किया है, वे ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करके परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

7. आवेदन पत्र जमा करने के बाद, आवेदक विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र की पीडीएफ दिनांक 23.04.2026, दोपहर 03:00 बजे तक rpfc.exam@epfindia.gov.in पर अग्रेषित करेंगे।

भवदीय,

(भूपेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I (भर्ती)

प्रतिलिपि:

1. कें.भ.नि.आ. के निजी सचिव।
2. सभी अ. कें. आ. (मुख्या.), वि.सला. एवं मु.ले.अधि. /मु.सत.अधि., मुख्यालय।
3. सभी अ. कें.भ.नि. आ., मुख्यालय।
4. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी, क्षे.भ.नि. आयुक्त।
5. क्षे.भ.नि. आयुक्त (एचआरएम- III), मुख्यालय।
6. क्षे.भ.नि. आयुक्त (एनडीसी) : वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. महासचिव, अखिल भारतीय अधिकारी एसोसिएशन, लुधियाना।
8. महासचिव, अ.भा. ईपीएफएसएफ एवं महासचिव अ.भा.ईपीएफ एससी/एसटी स्टाफ फेडरेशन।
9. गार्ड फ़ाइल।